

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नवलगढ़ (झुझुनू)

रेलवे स्टेशन रोड़, प्रेमप्रकाश टोंकीज के पास नवलगढ़, कार्यालय e-mail-navalgarh.jaipur@gmail.com

क्रमांक. न पान / 2026-27 / 21

दिनांक: 11/05/2026

प्रेषिती:-

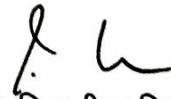
श्री अर्जुन सिंह शेखावत पुत्र श्री इन्दर सिंह शेखावत, निवासी-गोठड़ा तहसील-नवलगढ़ जिला-झुझुनू (राज0) एवं श्री मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री प्रहलाद सैनी, निवासी- ढाका की ढाणी, तहसील-नवलगढ़ जिला-झुझुनू (राज0)

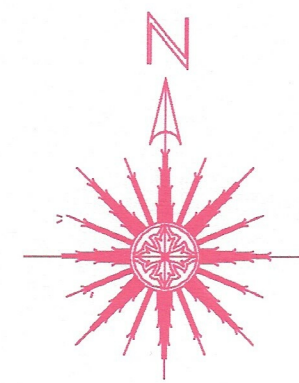
विषय:- राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ के खसरा नम्बर 840/164, 158, 130 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर रोड़ सरेण्डर पश्चात 19091.47 वर्गमीटर भूमि पर माधव सीटी फैंज-2 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा तहसील नवलगढ़ के खसरा नम्बर 840/164, 158, 130 कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर रोड़ सरेण्डर पश्चात 19091.47 वर्गमीटर भूमि पर माधव सीटी फैंज-2 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2024 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ-तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2024 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. अनुमोदित योजना में सी.सी सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया जाने की सुनिश्चितता करनी होगी।
5. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन का निर्माण आवेदक द्वारा करवाया जावेगा अन्यथा इस हेतु राशि पालिका कोष में जमा करवाई जायेगी।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार निर्धारित अवधि में आन्तरिक विकास कार्य आवेदक द्वारा पूर्ण किये जाने होंगे।
7. योजना के अनुमोदित मानचित्र को योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
8. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
9. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2025 के अनुसार ही किया जाना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 06 भू-खण्डों (भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, व 7) का पालिका के पक्ष में मॉर्टगेज (रेहन) किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
11. विकासकर्ता को टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार Maintenance किया जाना आवश्यक होगा।
12. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
13. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र।


अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़



LAYOUT PLAN "MADHAV CITY PHASE - 2 OF KHASRA NO - 840/164, 158, 130. AT VILLAGE :- DURJANPURA, TEHSIL - NAWALGARH, DISTT. JHUNJHUNU (RAJ.)

TOTAL AREA IN PART KHASRA NO. 840/164 = 18900.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KHASRA NO. 130 = 300.00 SQ. MTR
TOTAL AREA IN KHASRA NO. 158 = 500.00 SQ. MTR
TOTAL AREA (KH.NO.840/164+130+158)=19700.00 SQ.MTR
AREA AVAILABLE AT SITE = 19091.47 SQ.MTR

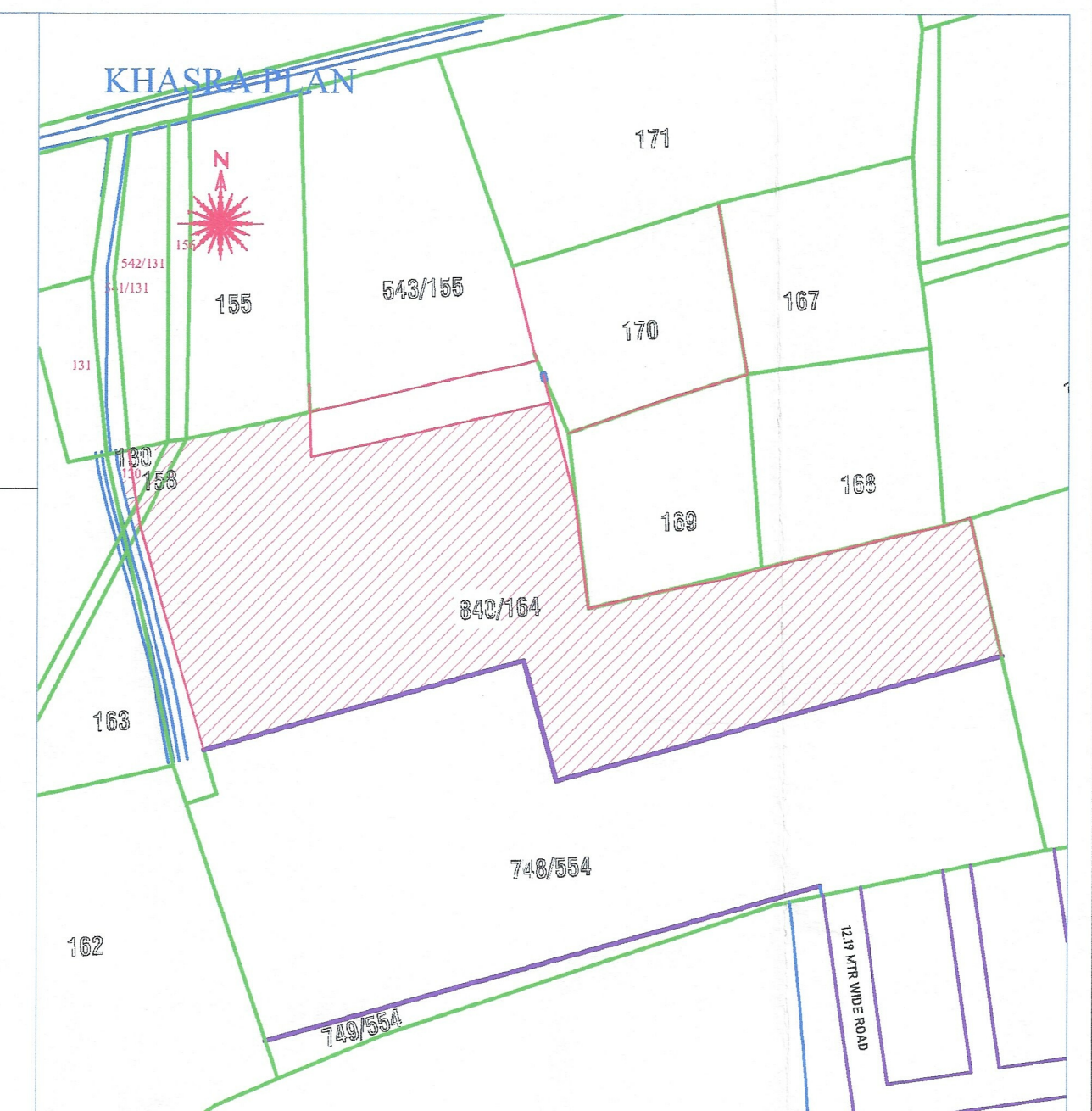
नगरपालिका स्तरीय ले-आउट प्लान समीति की बैठक दिनांक: 11.05.2026 में
सर्वसम्मति से ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया कूरवण्ड संख्या-2,3,4,5,
6 व 7 को विकास शुल्क, सोसाइटीय शुल्क व अन्य राशि सम्पूर्ण जमा
कराये जाने तथा विकास कार्य पूर्ण होने तक Monogable रहना जायेगा।
नोट:- इस खासिय के पत्र क्रमांक: 21 दिनांक: 11.05.2026 में वर्णित शर्तों
के अन्वयेन योजना विकसित की जायेगी।

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका नवलगढ़

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका नवलगढ़

प्रशिक्षित एवं अधिकाधिक अधिकारी
नगरपालिका, नवलगढ़

अधियायी अधिकारी
नगरपालिका, नवलगढ़



GOOGLE EARTH PLAN



LEGEND

SR.NO	SYMBOL	CLASS DESCRIPTION
1.		PLOT LINE
2.		KHASRA BOUNDRY
3.		SCHEME BOUNDRY

भूखंडों की निर्माण स्थिति

आवासीय / व्यावसायिक

- पूर्ण आंशिक निर्मित भूखंड : B 00
- चार दीवारी निर्मित भूखंड : C.W. 00
- खाली भूखंड : V. 52

कुल भूखंड - 52

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण

LAND USE	SQ.MTR	प्रतिशत
RESIDENTIAL AREA	9272.44	48.57 %
INFORMAL COMMERCIAL	526.31	2.76 %
PARK	1343.55	7.04 %
PUBLIC UTILITY AREA	777.67	4.07 %
FACILITY AREA	767.71	4.02 %
ROAD	6403.79	33.54 %
TOTAL AREA	19091.47	100.00 %

बिन्दु A B C D E F G H I J K के अन्तर्गत
भूमि खसरा नं. 840/164, 158, 130 के अन्तर्गत
कुल रकबा 1.97 हेक्टर 50 अंश 20.05.03
निलान (है) इस प्लान के अन्तर्गत जमीन के अन्तर्गत
अन्य किसी का बालिव व करारी भूमि नहीं है कुल
खसरा नं. के 40 लिट करारी जमीन (लगभग) है
भूमि की संख्या 13031.47 SQ. मीटर है

पत्र क्रमांक: 21
दिनांक: 11.05.2026